अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 56–122/2012

अपीलार्थी – श्रीमती रंजू कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1476/प्रो0 दिनांक 8.10.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि दिनांक 23.3.2012 सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0– 235 वैधनाथ मेहता टोला लतहारा का निरीक्षण रंजना कुमारी महिला पर्यवेक्षिका सुपौल द्वारा किया गया। निरीक्षण के कम में केन्द्र बंद पाया गया। सेविका/ सहायिका दोनो अनुपस्थित पाई गई ।

निरीक्षण के तिथि को केन्द्र बंद होने , सेविका एवं सहायिका दोनों को अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यालय पत्रांक 871/प्रो0 दिनांक 16.6.2012 से सेविका रंजू कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग किया गया एवं निर्धारित तिथि 30.6.2012 को अपना जबाव स्पष्टीकरण देने हेतु तिथि तय किया गया। दिनांक 30. 6.2012 निर्धारित तिथि में सेविका श्रीमती रंजू कुमारी ने अपना स्पष्टीकरण (पक्ष) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष रखा। अपना स्पष्टीकरण में सेविका श्रीमती रंजू कुमारी ने बताया कि निरीक्षण तिथि 23.3.2012 को उनकी तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण केन्द्र की सहायिका को सारा पंजी सौंप दी तथा अपना ईलाज कराने हेतु सहरसा चली गई, इस संबंध में उनके द्वारा महिला पर्यवेक्षिका को मोबाईल से सूचना दे दी गई थी। लेकिन महिला पर्यवेक्षिका ने मुझसे कहा कि अवकाश लेने की सूचना सी0डी0पी0ओ0

सुपौल को ही दिया जाय। सुनवाई में उपस्थित सी0डी0पी0ओ0 सुपौल द्वारा बताया गया कि सेविका ने अवकाश पर जाने की सूचना मुझे नहीं दी है, और नहीं महिला पर्यवेक्षिका को ही दिया गया। सी0डी0पी0ओ0 सुपौल ने सुनवाई के दिन बताया कि उक्त तिथि को केन्द्र की सहायिका द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु होने की सूचना मोबाईल से दी थी और इस कारण सहायिका अनुपस्थित थी। सी0डी0पी0ओ0 सुपौल ने यह भी बताया कि सेविका इसी तरह निरीक्षण की तिथि को केन्द बंद कर अपनी अचानक तबियत खराब होने के कारण सूचना सहायिका को बोलकर एवं पंजीयाँ भी सौंप कर ईलाज हेतु सहरसा चली गई, और सहायिका के संबंध में सी0डी0पी0ओ0 का यह बयान कि उसके दादा की मृत्यु होने के कारण केन्द्र से अनुपस्थित थी, जिसकी सूचना सहायिका ने उन्हें दुरभाष से बताई।

इस अपीलवाद की सुनवाई के कम में अपीलार्थी के अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष एवं साक्ष्य, कागजात प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि निरीक्षण तिथि 23.3.2012 को सेविका श्रीमती रंजू कुमारी की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण सहायिका को बोलकर एवं केन्द्र की पंजीयाँ उन्हें सोंप कर अपना ईलाज कराने वास्ते सहरसा चली आई , चूँकि सहरसा मे उनके पिता जी का अपना निजी मकान है, अतः उन्हें रहने एवं चिकित्सा करवाने में सुविधा मिल पाती है, उन्होने इसके समर्थन में चिकित्सा प्रमाण पत्र डॉ0 अशोक कुमार सिंह एम0डी0 का पूर्जा व दवा खरीद का पूर्जा भी अवलोकन कराया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया कि जहाँ तक सहायिका के उक्त तिथि को उपस्थित एवं अनुपस्थित रहने की बातें है एक तरफ उन्होने अपनें स्पष्टीकरण में लिखित दिया है कि केन्द्र पर आने के बाद मेरे दादा जी की मृत्यु होने की खबर मिलने पर वह दाह-संस्कार में चली गई थी, एवं दुसरी तरफ अपने पिता की मृत्यु की बात(सी0डी0पी0ओ0 सुपौल) के कथनानुसार बताई थी जिसकी पुष्टि सी0डी0पी0ओ0 सुपौल ने सुनवाई में किया। उन्होंने प्रमाण स्वरूप दिनांक 23.3.2012 का उपस्थिति पंजी भी अवलोकन कराया जिसमें सहायिका ने अपना हस्ताक्षर कर आगमन 10 बजे एवं प्रस्थान 2:00 बजे दर्ज कराया है, ऐसी स्थिति में यह कहना है कि सहायिका अनुपस्थित थी, एवं दादा या पिता की मृत्यु के कारण केन्द्र पर नहीं गई, विश्वास करने के योग्य नहीं है, क्योकि लिखित साक्ष्य के सामने मौखिक मन्तव्य का कोई औचित्य नहीं बनता है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षणकी तिथि 23.3.2012 को 12:58 बजे केन्द्र के निरीक्षण के समय सेविका/सहायिका दोनो अनुपस्थित थी, सेविका ने बताया कि अचानक तबियत खराब होने के कारण सहायिका को कहकर सारा पंजी देकर डॉ0 से दिखाने सहरसा चली आई सेविका द्वारा दिए गए

अपने स्पष्टीकरण सी0डी0पी0ओ0 सुपौल क बयान से यह माना जा सकता है कि उक्त तिथि को सेविका/सहायिका के बीच किसी भी तरह का संवाद ही नहीं हुआ, क्योकि अगर सहायिका के दादा की मृत्यु हुई थी तो सहायिका सेविका को अवगत कराती, किन्तु सेविका ने अपने सुनवाई मे इस बात का उल्लेख नहीं की है दुसरी बात यह है कि जहाँ तक सेविका के अचानक तबियत खराब होने की सूचना सहायिका को दी एवं पंजी भी दी किन्तु सेविका ने पोषाहार बनाने की कच्चा राशन साम्रगी नहीं दी इसका उल्लेख सेविका/सहायिका ने कही भी नहीं की है इससे स्पष्ट होता है कि सेविका रंजू कुमारी केन्द्र पर गई ही नहीं थी, तो फिर पंजी एवं पोषाहार हेतु कच्चा राशन साम्रगी देने का प्रश्न ही नही उठता है। सहायिका ने अपने स्पष्टीकरण में भी लिखकर दी है कि उक्त तिथि को सेविका केन्द्र पर नहीं आई थी

उपरोक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचा कि सारा मामला – सेविका/सहायिका के द्वारा सफेद झुठ बोलने एवं एक दुसरे– पर दोषारोपण कर के प्रशासन की आँख में धुल झोकने का प्रयास है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि न तो सेविका की तबियत खराब हुई और न ही सहायिका के दादा/पिता की मृत्यु हुई उपस्थिति पंजी में सहायिका ने अपना उपस्थिति भी बना ली, यह सारा खेल After thought माना जायेगा। एक भी लाभुक बच्चें नहीं थे, पोषाहार भी नहीं बना सारा खेल पोषाहार की राशि हजम किए जाने का कुत्सित प्रयास हुआ । अतः निम्न न्यायालय का आदेश ज्ञापांक 1476 दिनांक 8.10.2012 सही व जायज है विभागीय मार्गदर्शिका के ज्ञापांक 956 दिनांक 14.3.2012 के कंडिका –(1) एवं (2) के तहत सेविका श्रीमती रंजू कुमारी को राहत देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होता है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा